

# दिल्ली विधान सभा सचिवालय

## समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

मंगलवार, 09 मार्च, 2010 / फाल्गुन 18, 1931 (शक)

संख्या-65

**विषय:- सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई**

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सहायक आयुक्त पुलिस थाना संसद मार्ग नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

“मुझे आपको ससम्मान यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री विजय कुमार मलहोत्रा, जगदीश मुखी, हर शरण सिंह बल्ली, साहब सिंह चौहान, रविन्द्र बंसल, ओ.पी.बब्बर, करण सिंह तंवर, रमेश विधूडी, सुनील वैद्य, अनिल कुमार झा, श्रीकृष्ण त्यागी व श्री प्रद्युमन राजपूत को दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 65 के तहत दिनांक 02.03.2010 को अपराहन 12.00 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग के अंतर्गत 14 पंडित पन्त मार्ग पर नज़रबंद किया गया।

उन्हे उसी दिन उसी स्थान से अपराहन 12.15 बजे रिहा कर दिया गया।”

सिद्धार्थ राव  
सचिव

### DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 9<sup>th</sup> March, 2010/ 18 Phalgun 1931(Saka)

No. 65

**Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Commissioner of Police, New Delhi.

“I have the honour to inform you that S/Shri Vijay Kumar Malhotra, Jagdish Mukhi Harsharan Singh Balli, Sahab Singh Chauhan, Ravinder Bansal, , O.P. Babber, Karan Singh Tanwar, Ramesh Bidhuri, Sunil Vaidh, Anil Jha, Shri Kisan Taygi and Shri Pradhuman Rajput, Members of Legislative Assembly, Delhi were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 from 14, Pandit Pant Marg, in the Area of P.S. Parliament street, New Delhi at 1200 Hrs on 2.3.2010.

They were released at 1215 Hrs from the same place on the same date.”

SIDDHARATH RAO  
Secretary